न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 252/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– लादूसिह पुत्र दीपसिह 2– जेतूसिह पुत्र दीपसिह 3– भंवरकंवर पुत्री दीपसिह 4– कमलाकंवर पुत्री दीपसिह 5– गेनूकंवर पुत्री दीपसिह 6– पारसकंवर पत्नी अर्जुनसिह 7– सरोजकंवर पत्नी मनोहरसिह 8– फुलकंवर पत्नी हडमानसिह के का0मुकाम– 8.1–श्यामसिह पुत्र हडमानसिह जरिये कुदरती वलिया पिता हडमान सिह 8.2–जयाकंवर पुत्री हडमानसिह जरिये कुदरती वलीया पिता हडमान सिह जातियान राजपूत निवासीगण इन्द्रोका, तहसील जोधपुर		1– लक्ष्मीनारायण पुत्र लालूराम उर्फ बालूराम जाति ब्राह्मण निवासी रबारियो का टाका बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 2– वासुदेव पुत्र लालुराम उर्फ बालूराम जाति ब्राह्मण निवासी एच/31 शास्त्री नगर जोधपुर 3– भंवरलाल के का0मुकाम– 3.1–परमेश्वरी पत्नी भंवरलाल 3.2–अनिल पुत्र भंवरलाल 3.3–प्रवीण पुत्र भंवरलाल जातियान ब्राह्मण निवासी प्लोट नंबर 74, 7वी विस्तार योजना, न्यू पावंर हाऊस रोड, जोधपुर 4– भंवरलाल पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी 242ए– शास्त्रीनगर, जोधपुर 5– सुभाष पुत्र बाबूलाल उर्फ बालूराम जाति ब्राह्मण निवासी कृष्णानगर, झालामण्ड,जोधपुर 6–अशोक पुत्र बाबूलाल उर्फ बालूराम जाति ब्राह्मण निवासी वैष्णव नगर दादू दयाल मार्ग, मकान नंबर 397, बिडला डे हॉस्टल के पास, जोधपुर 7–सरला पुत्री बाबूलाल उर्फ बालूराम पत्नी धरमीराम जाति ब्राह्मण निवासी अटपडा तहसील सोजत, जिला पाली 8–सुमन पुत्री बाबूलाल उर्फ बालूराम पत्नी अशोकजी ब्राह्मण, निवासी जे.के.वाईट सीमेन्ट कॉलोनी, गोटन जिला नागौर 9– पवन पुत्र सत्यनारायण ब्राह्मण निवासी इन्द्रोका तहसील जोधपुर 10–हरीश पुत्र सत्यनारायण ब्राह्मण निवासी इन्द्रोका तहसील जोधपुर 11–कुलदीप पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी इन्द्रोका, तहसील जोधपुर 12–पूजा उर्फ अर्चना पुत्री सत्यनारायण ब्राह्मण पत्नी सुरेशजी निवासी आगोलाई, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 13–माया पुत्री सत्यनारायणजी ब्राह्मण पत्नी शांतिलाल जी व्यास निवासी भूरटिया सूरसागर जोधपुर 14–दाऊलाल पुत्र मोहनलाल ब्राह्मण निवासी इन्द्रोका जोधपुर 15– जुगलकिशोर के का0मुकाम– 15/1– श्रीमती पुष्पादेवी पुत्री स्व0

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

		जुगलकिशोर पतनी बंकट लाल पारीक निवासी "माजीसा" सुभाष चौक रातानाडा जोधपुर 15/2–जगदीश चंद्र पारीक पुत्र स्व0 जुगल किशोर निवासी प्लोट नंबर 194, महावीरपुरम वन वर्ल्ड के पीछे, चौपासनी हॉस्पीटल रोड, जोधपुर 15/3–अनुसुया पुत्री स्व0 जुगल किशोर पत्नी रमेशचंद्र पारीक, निवासी प्लॉट संख्या 138, टेगोर नगर सर्किट हाऊस के पीछे, पाली 16– तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–11–2012 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2010 अनवान लक्ष्मीनारायण बनाम भंवरलाल वगैरा में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 से 3 की ओर से ।
3– श्री देवेन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से।
4– श्री किशोर सिह 4, 5, 15/1 तथा 15/3 की ओर से।
5– श्री देवेन्द्र सिह चंपावत रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से ।
6– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 26–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी संभी स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम के उतराधिकारीगण है तथा उक्त प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि गांव इन्द्रोका तहसील जोधपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बिस्वा, खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा तथा खसरा नंबर 338 रकबा 2.01 बीघा कुल 77.05 बीघा भूमि के 1/3 हिस्से के सहखातेदार स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक दर्ज रहा जो संवत 2031 तक दर्ज चलता रहा परंतु संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी तैयार करते समय स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम लिखना रह गया तथा उक्त खातेदारी की भूमि मे उनका 1/3 हिस्सा जमाबंदी से नदारद कर दिया जो स्पष्टतः लिपिकीय त्रुटि है । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि जमाबंदी मे एक हिस्सेदार बाबुलाल, सत्यनारायण पि0 अमोलकचंद का 1/8 हिस्सा था, उसमे बाबुलाल का नाम हटाकर बालुराम लिख दिया व जिसे अमोलकचंद का पुत्र बता दिया जबकि लालुराम उर्फ बालुराम के पिता का नाम नेनूराम था । राजस्व रेकर्ड मे उक्त त्रुटिवशः इन्द्राज चलते रहे, इसके आगे की जमाबंदियो मे भी इसी अनुसार त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होते रहे ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व रेकर्ड मे हुई उक्त त्रुटियो को दुरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2012 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मौजा इन्द्रोका स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बिस्वा, खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा तथा खसरा नंबर 338 रकबा 2.01 बीघा कुल 77.05 बीघा भूमि मे 1/3 भाग मे प्रार्थीगण के पिता का नाम स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे सही दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2012 से व्यथित होकर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । बकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपील मे वर्णित ग्राम इन्द्रोका की उक्त खसरान की भूमि मे से रेस्पो0गण ने खसरा नंबर 317 की 3.07 बीघा, खसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा कुल रकबा 6 बीघा 06 बिस्वा का बेचान वर्ष 1980 मे वर्तमान अपीलांट संख्या 1 से 5 के पिता दीपसिह को कर दिया था तथा खातेदार दीपसिह की मृत्यु होने पर उक्त भूमि वर्तमान अपीलांट संख्या 1 से 5 के नाम विरासत मे दर्ज हुई ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि इसी प्रकार खसरा नंबर 338 की भूमि मे से 1.13 बीघा तथा खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा कुल 11.03 बीघा भूमि का बेचान गुलाबकंवर पत्नी भंवरसिह को रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने दिनांक 6–8–2009 को किया है, इसी प्रकार खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बीघा की सम्पूर्ण भूमि का बेचान वर्तमान अपीलांट संख्या 6 से 8 को दिनांक 1–2–2007 को किया गया। वकील अपीलांट ने कथन किया कि इसप्रकार उक्त खसरा नंबरान मे उल्लेखित सम्पूर्ण भूमि का बेचान हो चुका है इसलिए वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 व अन्य रेस्पो0गण को उक्त बेचानसुदा अपीलाधीन खसरान की भूमि मे कोई हक अधिकार नही है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहय मे अवगत कराया कि अपील मे वर्णित खसरा नंबरान मे से खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बीघा भूमि का बेचान नही हुआ है जो रेस्पो0गण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा इस भूमि मे रेस्पो0 तीनो सहखातेदारो का प्रत्येक का संयुक्त रूप से अलग–अलग 1/3 हिस्सा बनता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर बेचान किये गये खसरा नंबरान मे भी रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा मानते हुए उनके पिता के नाम लालुराम उर्फ बालुराम का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश दे दिया जबकि अन्य खसरान की भूमि तीनो सहखातेदारो ने अपने 1/3 हिस्से के अनुसार बेचान कर दी थी । इस कारण रेस्पो0 का बेचान की गई भूमि मे कोई हक व अधिकार नही बनता है केवल बेचान से शेष खसरा नंबर 164 रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे तीनो सह खातेदारो का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनता है

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा जो धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे अपीलांटगण (केतागण) को पक्षकार नही बनाया जबकि रेवेन्यु रेकर्ड मे खसरा नंबर 164 रकबा 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि के अलावा अन्य खसरान की भूमि मे अपीलांटगण का नाम खातेदारी मे दर्ज है इसलिए अपीलांटगण एग्रीवड पक्षकार थे जिन्हे पक्षकार बनाया जाकर उन्हे सुनवाई का अवसर देकर तथा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया जाना आवश्यक था । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के तहत मिसज्वाईन्डर ऑफ पार्टी के आधार पर खारीज योग्य था परंतु इस कानूनी बिन्दु की ओर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे केवल वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने ही धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिनका मात्र 1/3 हिस्सा ही था अन्य सहखातेदारो ने अधीनस्थ न्यायालय मे न तो प्रार्थना पत्र पेश किया और न ही किसी प्रकार का कोई उजर ही पेश किया है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 6 से 15 ने अपीलांटगण को बेचान की गई भूमि के संबंध मे कोई एतराज नही किया है न ही वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पक्ष मे कोई जवाब या पक्ष प्रस्तुत किया है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार किये बिना ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्तमान अपीलांटगण जिनके नाम से खातेदारी दर्ज है उनको पक्षकार नही बनाया तथा उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उनके हितो के विपरीत आदेश पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विवादित भूमि मे अपना 1/3 हिस्सा तय करवाने बाबत निवेदन किया था जबकि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के तहत केवल किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि को ही संशोधित किया जा सकता है तथा उसके लिए भी अन्य सहखातेदारो की सहमति होना अनिवार्य है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अपीलांटगण को पक्षकार ही नही बनाया तथा उन्हे सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान नही हुआ तो सहमति होने का प्रश्न ही नही था इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम के जरिये विवादित बिन्दु तय नही हो सकता है तथा न ही किसी व्यक्ति के हक व अधिकार तय हो सकते है परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने करीब 35 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड मे दर्ज इन्द्राज को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये बिना वर्तमान राजस्व रेर्ड का अवलोकन किये परिवर्तन करवा दिया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को विवादित भूमि मे अपना हक व अधिकार तय करवाने के लिए सक्षम न्यायालय मे धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत घोषणा का दावा पेश करना चाहिये था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2012 को निरस्त कर अपीलांटगण के नाम की खातेदारी यथावत रखी जाने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2008 आर.आर.डी. पेज 34, 2009 (2) आर. आर.टी. पेज 1018, आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 219, आर.आर.डी. 2019 पार्ट (2) पेज 67, आर.आर.टी. 2015 पार्ट (1) पेज 10 एस.सी. एवं आर.आर.डी. 2016 पेज 394 की निर्णय नजीरे पेश की ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि गांव इन्द्रोका तहसील जोधपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बिस्वा, खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा तथा खसरा नंबर 338 रकबा 2.01 बीघा कुल 77.05 बीघा भूमि के 1/3 हिस्से के सहखातेदार स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक दर्ज रहा जो संवत 2031 तक दर्ज चलता रहा परंतु संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी तैयार करते समय स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम ही हटा दिया तथा उक्त खातेदारी की भूमि मे उनका 1/3 हिस्सा जमाबंदी से नदारत करते हुए शेष खातेदारान का 1/3 हिस्सा की बजाय 2/3 हिस्सा बता दिया, इसी प्रकार जमाबंदी मे एक हिस्सेदार बाबुलाल, सत्यनारायण पि0 अमोलकचंद का 1/8 हिस्सा था, उसमे बाबुलाल का नाम हटाकर बालुराम लिख दिया व जिसे अमोलकचंद का पुत्र. बता दिया जबकि लालुराम उर्फ बालुराम के पिता का नाम नेनूराम था, राजस्व रेकर्ड मे हुई उक्त दोनो त्रुटियां स्पष्टतः लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी की होने से राजस्व रेकर्ड मे उक्त त्रुटिवशः इन्द्राज चलते रहे जिन्हे दुरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2012 पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण जिन्होने अपील मे वर्णित विभिन्न खसरान कमशःखसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा तथा

खसरा नंबर 338 रकबा 2.01 बीघा भूमि के केतागण है परंतु अपील मे वर्णित खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बीघा भूमि का बेचान किसी पक्षकार द्वारा नही किया है अर्थात् कुल 77 बीघा 05 बिस्वा भूमि मे से 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि अभी बेचान से शेष है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे अपीलांटगण अपनी खरीदसुदा भूमि का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवा सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि की जानकारी होते ही अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था तथा यह भी कथन किया कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के जरिये रेकर्ड दुरस्ती के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे कोई मयाद नही है । राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि की जानकारी लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर को किसी भी समय होने पर उसे दुरस्त करने का अधिकार है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड की जाचं एवं परीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय के जरिये रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के पिता स्व0 लादूराम उर्फ बालूराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे पूर्व मे दर्ज रकबे को पूरा करने के लिए कुल रकबा 77.05 बीघा मे 1/3 भाग राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने बाबत पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि हमने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे तहसीलदार को छोडते हुए अन्य 14 खातेदारो को पक्षकार बनाया है तथा यह कथन किया कि उन्ही को पक्षकार बनाया है जिनका हिस्सा प्रभावित हुआ तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रत्यर्थीगण की ओर से हमारे प्रार्थना पत्र का कोई जवाब या खण्डन प्रस्तुत नही हुआ तथा यह भी कथन किया कि हम स्व0 खातेदार बालुराम के वारिसान है तथा हमारे खातेदारी की भूमि पर हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड मे हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त करने बाबत जो आदेश पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अन्य रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपीलांट अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश पारित किया है जो विधिवत पारित किया ही नही जा सकता है इसलिए इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है । इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता ने जवाब मे यह भी कथन किया कि धारा 54 टी.पी.एक्ट के प्रावधानो के तहत

अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजात को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को अपीलाधीन भूमि मे कोई अधिकार हासिल नही हो सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अपील के साथ प्रस्तुत बेचानानामे, इकरारनामें एवं अन्य दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

वर्तमान प्रकरण मे अपीलांटगण अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के सद्भावी केता है तथा उनके पक्ष मे समय–समय पर हुए पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजो के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में उनका नाम दर्ज हो चुका था परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पों0 संख्या 1 से 3 की ओर से इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया कि गांव इन्द्रोका तहसील जोधपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 238 रकबा 2.19 बीघा, खसरा नंबर 317 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नंबर 334 रकबा 16.18 बिस्वा, खसरा नंबर 164 रकबा 42.10 बिस्वा, खसरा नंबर 302 रकबा 9.10 बीघा तथा खसरा नंबर 338 रकबा 2.01 बीघा कुल 77.05 बीघा भूमि के 1/3 हिस्से के सहखातेदार स्व0 लालुराम उर्फ बालुराम का नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक दर्ज रहा जो संवत 2031 तक दर्ज चलता रहा परंतु संवत 2032 से 2035 की जमाबंदी तैयार करते समय स्व0 लालुराम उर्फ़ बालुराम का नाम लिखना रह गया तथा उक्त खातेदारी की भूमि मे उनका 1/3 हिस्सा जमाबंदी से नदारत कर दिया जो स्पष्टतः लिपिकीय त्रुटि है । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि जमाबंदी मे एक हिस्सेदार बाबुलाल, सत्यनारायण पि0 अमोलकचंद का 1/8 हिस्सा था, उसमे बाबुलाल का नाम हटाकर बालुराम लिख दिया व जिसे अमोलकचंद का पुत्र. बता दिया जबकि लालुराम उर्फ बालुराम के पिता का नाम नेनूराम था, राजस्व रेकर्ड मे चली आ रही इस त्रुटि को दुरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने लगभग 35 वर्ष पूर्व राजस्व रेकर्ड मे हुई लिपिकीय त्रुटि को बिना वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये तथा तत्समय राजस्व रेकर्ड के खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये ही धारा 136 आर. एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 35 वर्ष पूर्व के इन्द्राजात को दुरस्त करते हुए एक मृत व्यक्ति स्व0 लालुराम उर्फ़ बालुराम का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबरान 238, 317, 334, 302, 338 की सम्पूर्ण भूमि तत्समय के खातेदारान ने अपने हिस्से का रजिस्टर्ड बेचान वर्तमान अपीलांटगण को कर दिया था तथा अपीलांटगण के पक्ष मे निष्पादित पंजीबद्ध बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे पूर्व खातेदारो के स्थान पर अपीलांटगण (क्रेतागणो) का नाम दर्ज हो चुका था तो रेस्पो0गण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना

पत्र मे रेकर्ड की सही वस्तुस्थिति प्रकट करते हुए तथा वर्तमान खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था तथा अधीनस्थ न्यायालय को भी उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर 35 वर्ष पूर्व के इन्द्राज परिवर्तन को बहाल करने से पूर्व तत्समय राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खातेदारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर सीधे उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जो अपीलांटगण की खरीदसुदा खसरा नंबरान की खातेदारी की भूमि के संबंध मे अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिससे अपीलांटगण सीधे प्रभावित पक्षकारा होने से उन्हे बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नेचुरल जस्टिस के विपरीत एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

हालांकि अपीलांटगण के अधिवक्ता द्वारा उनकी बहस मे उठाये गये अन्य बिन्दुओ एवं उसके समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो मे दिये गये अभिमतो का इस निर्णय मे उल्लेख किये बिना हम उक्त प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना न्यायोचत समझते है कि वे उनके समक्ष वर्तमान रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित खसरा नंबरान से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड तलब कर उसका अवलोकन करे, मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट रेकर्ड पर मंगवाने के बाद वर्तमान अपीलांटगण एवं अपीलाधीन भूमि के अन्य हितबद्व खातेदारान को पक्षकार बनाते हुए उन्हे नोटिस जारी कर, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के मध्यनजर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण की वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2012 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर